उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ

विज्ञापन संख्या- 08-परीक्षा/2023

सम्मिलित कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर-।।।

मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2022)/07

विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि- **04-08-2023**
ऑनलाइन आवेदन / शुल्क जमा करना प्रारम्भ होने की तिथि- **12-09-2023**
ऑनलाइन आवेदन/ शुल्क जमा /आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि- **03-10-2023**
शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि- **10-10-2023**

विशेष कथन- उपर्युक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 03-10-2023 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन/शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंटआउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा, जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 03-10-2023 तक अथवा उसके पश्चात विलम्बतम 07 दिवस के अन्दर अर्थात दिनांक 10-10-2023 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ के **विज्ञापन संख्या-08-परीक्षा/2023, सम्मिलित कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर-।।। मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2022)/07** के अंतर्गत **विभिन्न विभागों** के नियंत्रणाधीन **कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर-।।।** के कुल रिक्त 3768 (सामान्य चयन) + कनिष्ठ सहायक के कुल रिक्त 63 (विशेष चयन) = 3831 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

सम्मिलित कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर-।।। मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2022)/07 हेतु अभ्यर्थियों की शार्टलिस्टिंग उनके प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2022 (Preliminary Eligibility Test-PET-2022) के स्कोर के आधार पर की जाएगी, अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2022 (Preliminary Eligibility Test- PET-2022) में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड (वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ) जारी किया गया है। प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2022 में वास्तविक (Absolute) स्कोर अथवा नार्मलाइस्ड स्कोर में शून्य या उससे कम / नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट नहीं किया जाएगा।

परन्तु यह कि जब तक आयोग स्तर से जांच के अधीन (Under Investigation-UI) व औपबन्धिक (Provisional) श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपबन्धिक रूप से अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्टिंग व चयन संबन्धी अग्रेतर कार्यवाही आयोग द्वारा की जा रही जांच के परिणाम / निर्णय के अधीन होगी।

1- ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना– इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रणाली (Online Application System) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट **upsssc.gov.in** के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।

2- आवेदन की प्रक्रिया-

अभ्यर्थी, आयोग की वेबसाइट **upsssc.gov.in** के **Homepage** पर **Live Advertisement Segment** के अंतर्गत **संबन्धित विज्ञापन पर क्लिक कर** उक्त विज्ञापन को **Download/View** कर सकते हैं। **अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र भरने के लिए समस्त प्रक्रियाएँ एक बार में ही पूर्ण की जा सकती हैं।** आवेदन की प्रक्रिया (Application Process) में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने से संबन्धित दिशा-निर्देश नीचे दिये जा रहे हैं। अतः अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व आवेदन की प्रक्रिया (Application Process) को सावधानीपूर्वक पढ़कर भलीभांति समझ लें।

2.1- **अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें और भली-भांति समझ लें कि वे विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) व अन्य अर्हताएं धारित करते हैं तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं। अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित निर्धारित अर्हता एवं शैक्षिक योग्यता धारण करने पर ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ करें।**

2.2- **अभ्यर्थी को आवेदन करते समय आवेदन की अंतिम तिथि (03-10-2023) तक सम्बन्धित आवश्यक अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) व अन्य अर्हता/ अर्हताएं तथा तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र धारित (Acquire/ Possess) करना अनिवार्य है।**

2.3- **आरक्षण / आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबन्धित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट में मुद्रित तथा वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र/आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, जो आवेदन की तिथि तक अथवा विज्ञापन में उल्लिखित आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया गया हो, अवश्य प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाए तब उन्हें उक्त प्रमाण पत्र आयोग में प्रस्तुत करना होगा।**

2.4- **जो आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन के इच्छुक हैं, उन आवेदकों से अपेक्षित है कि वह आवेदन करने से पूर्व दिनांक 01-04-2023 से 03-10-2023 (आवेदन की अंतिम तिथि) के मध्य निर्गत EWS प्रमाण पत्र, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 की आय पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु मान्य हो, को धारित करना सुनिश्चित करें। इस श्रेणी के आवेदकों को उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-3/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-।।, दिनांक 14-03-2019 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। (कृपया विज्ञापन के प्रस्तर 11.14 का अवलोकन करने का कष्ट करें)।**

2.5- विज्ञापित पद के लिए केवल एक ही आवेदन करना है।

आवेदन प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देश

2.6- प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण/ लॉगिन (Applicant Authentication/Login Through PET Registration Number)- अभ्यर्थी को प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2022 (Preliminary Eligibility Test-PET-2022) के रजिस्ट्रेशन नंबर के प्रमाणीकरण हेतु दो विकल्प उपलब्ध कराये गये हैं-

I. **व्यक्तिगत विवरण के साथ (Through Personal Details)**-अभ्यर्थी प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2022 का रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश का निवासी होने सम्बन्धी विवरण (Domicile) व श्रेणी (Category) सम्बन्धी विवरण भरकर आवेदन हेतु लॉगिन कर सकते हैं।

II. **ओ0टी0पी0 के माध्यम से (Through O.T.P.)**- अभ्यर्थी प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2022 के रजिस्ट्रेशन नंबर के सापेक्ष रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर/ ईमेल पर प्रेषित किये गये O.T.P. के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं।

2.7 आवेदन (Application)-

I. लॉगिन करने के उपरान्त इस भाग में अभ्यर्थी को प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2022 में दर्ज की गयी अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे- नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश का निवासी होने सम्बन्धी विवरण, श्रेणी, EWS, क्षैतिज आरक्षण से संबन्धित विवरण, जन्मतिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, सम्पर्क हेतु मोबाइल नंबर, ईमेल आदि विवरण स्वतः प्रदर्शित होंगे।

II. इस भाग में अभ्यर्थी को विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) से सम्बन्धित विवरण भरना होगा। अभ्यर्थी द्वारा शैक्षिक योग्यता धारण करने के संबन्ध में Yes/No विकल्प का चयन करने के उपरान्त बोर्ड/संस्था/ विश्वविद्यालय का नाम, उत्तीर्ण करने का वर्ष, सर्टिफिकेट/ रोल नं0, अर्हता सम्बन्धी प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि तथा प्राप्तांक संबन्धी विवरण आदि अंकित किया जाना होगा।

III. अभ्यर्थी को उपर्युक्त सूचनाएं भरने के पश्चात रजिस्ट्रेशन पेज पर नीचे की ओर **"Enter Verification Code"** में दिखाये गये वेरिफिकेशन कोड को प्रविष्ट करने के पश्चात **"सबमिट"** बटन पर क्लिक करना होगा। फार्म सबमिट होते ही **"अभ्यर्थी का आवेदन पत्र"** प्रदर्शित होगा, जिसमें 11 अंको का रजिस्ट्रेशन नम्बर सहित अन्य विवरण होगा। अभ्यर्थी इसकी एक प्रति मुद्रित कर अपने पास सुरक्षित रखें, जिसे आवश्यकता पड़ने पर प्रस्तुत करना होगा।

2.8 फोटो तथा हस्ताक्षर (Photo and Signature)- इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2022 में अपलोड की गयी फोटो तथा हस्ताक्षर स्वतः प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी द्वारा इसमें कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।अभ्यर्थी, फोटो तथा हस्ताक्षर View करने के उपरान्त **"Continue"** बटन को क्लिक करते ही अगले पृष्ठ पर चले जायेंगे।

2.9 अन्य विवरण (Other Details)- इस भाग में अभ्यर्थी को अधिमानी अर्हता (यदि कोई हो तो) के संबन्ध में Yes/ No विकल्प को चुनना होगा। इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2022 में दर्ज किया गया स्थायी व पत्राचार का पता भी स्वतः प्रदर्शित होगा।

घोषणा (Declaration)

वेब पेज के निचले हिस्से में अभ्यर्थी द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रारूप प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी से यह अपेक्षा है कि घोषणापत्र की अंतर्वस्तु का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें तथा यदि घोषणा-पत्र से सहमत हो तो सभी बिन्दुओं को Tick करते हुए नीचे दिये गये वेरीफिकेशन कोड को दर्ज कर **Save & Proceed** करें।

अभ्यर्थी द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2022 में दर्ज विवरण तथा इस आवेदन के समय अनिवार्य एवं अधिमानी अर्हता संबन्धी अंकित की गयी समस्त प्रविष्टियों/ विवरणों को प्रीव्यू (Preview) पृष्ठ पर देखा जा सकेगा। सहमति की दशा में अभ्यर्थी द्वारा **Proceed to Payment of Fee & Final Submission** पर क्लिक कर आगे की प्रक्रिया पूर्ण की जानी होगी।

2.10- फीस का भुगतान एवं समायोजन तथा एप्लीकेशन फार्म सबमिशन (Fee Payment and Reconciliation & Application Form Submission)

I- अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान Credit card/Debit card, Internet Banking या SBI के ई-चालान के माध्यम से वेबसाइट पर दिये गये निर्देशों का पालन करते हुये तत्काल कर सकते हैं। **अन्य किसी माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया जा सकता ।** शुल्क का सफल भुगतान होते ही **Payment Acknowledgment Receipt (PAR) Generate** होगी जिसमें Payment का विवरण अंकित होगा। इस पर नीचे की ओर बाई तरफ प्रिंट बटन को क्लिक कर अभ्यर्थी **Payment Acknowledgment Receipt (PAR) को प्रिंट कर सकता है।** इसी पृष्ठ पर दाहिनी तरफ **Proceed To Download and Print The Application Form** बटन को क्लिक कर अभ्यर्थी अपना फार्म अन्तिम रूप से **Submit** कर सकता है तथा उसका एक **Printout** भी ले सकता है।

II- यदि अभ्यर्थी द्वारा Credit card/Debit card, Internet Banking द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जा चुका है, परन्तु शुल्क का समायोजन न हो पाने के कारण अभ्यर्थी अपने आवेदन का प्रिंटआउट नहीं निकाल पा रहे हैं तो ऐसे अभ्यर्थी Homepage पर **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गए लिंक **"Update Your Transaction ID by Double Verification"** पर क्लिक कर अपने शुल्क का समायोजन अवश्य कर लें।

III- ई–चालान के माध्यम से शुल्क का भुगतान करने हेतु अभ्यर्थी को SBI का ई-चालान download कर SBI की किसी भी शाखा में जाकर निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी द्वारा **Applicant Segment** के अंतर्गत **Update Your Transaction ID By Double Verification Mode** के माध्यम से ई-चालान का विवरण भर कर शुल्क का समायोजन किया जाएगा।

IV- अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि विज्ञापन की अंतिम तिथि तक अथवा उससे एक सप्ताह के अंदर प्रत्येक दशा में अपने शुल्क का समायोजन कर अपने आवेदन पत्र का Printout अवश्य निकाल लें। निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के बाद अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन का Printout नहीं लिया जा सकेगा। **अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के सफल भुगतान एवं समायोजन के उपरान्त ही आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट किया जा सकेगा।**

V- यदि किसी तकनीकी समस्या व अन्य किसी कारण से अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान तत्काल नहीं कर पाते हैं तो वह शुल्क जमा करने की अवधि में मुख्य पृष्ठ पर **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गये **Fee Deposition** पर क्लिक कर Credit card/Debit card, Internet Banking या SBI के ई-चालान के माध्यम से वेबसाइट पर दिये गये निर्देशों का पालन करते हुये निर्धारित शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

VI. अभ्यर्थी द्वारा उपर्युक्त के अतिरिक्त **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गये **Applicant's Dashboard** पर जाकर प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2022 के रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी लॉगिन कर शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।

VII. अभ्यर्थी **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गये **Applicant's Dashboard** पर जाकर प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2022 के रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी लॉगिन कर शुल्क का स्टेटस प्राप्त कर सकते हैं। शुल्क का स्टेटस Pending होने पर अभ्यर्थी **Applicant Segment** के अंतर्गत **Update Your Transaction ID By Double Verification Mode** के माध्यम से आवश्यक विवरण भरने के उपरान्त तुरन्त फार्म का अगला भाग पूर्ण कर सकते हैं।

VIII - अभ्यर्थी शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत शुल्क जमा नहीं कर पायेंगे और न ही अपना आवेदन अन्तिम रूप से सबमिट कर सकेंगे।

IX. <u>आवेदन शुल्क</u> – अभ्यर्थियों से आवेदन के स्तर पर ऑनलाइन आवेदन हेतु मात्र ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ही लिया जाएगा जिसका श्रेणीवार विवरण नीचे दी गयी तालिका में अंकित है। मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किये जाने की दशा में शार्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क अलग से देय होगा, जिसका भुगतान मुख्य परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाना होगा।

क्र० सं०	श्रेणी	आवेदन शुल्क	ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क	शुल्क योग (आवेदन शुल्क + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क)
1	अनारक्षित/ सामान्य	00	25.00	25.00
2	अन्य पिछड़ा वर्ग	00	25.00	25.00
3	अनुसूचित जाति	00	25.00	25.00
4	अनुसूचित जनजाति	00	25.00	25.00

- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिकों, महिला, दिव्यांगजन एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी अभ्यर्थियों द्वारा क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा।
- **मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क (जैसा कि आयोग/शासन द्वारा निर्धारित किया जाए) का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा।**

2.11- फार्म का प्रिन्टआउट लेना (Print Application Form)- अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपना आवेदन पत्र अन्तिम रूप से सबमिट करने के उपरान्त उसका प्रिन्ट आउट **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गये **Applicant's Dashboard** पर जाकर प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2022 रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लॉगिन कर अवश्य प्राप्त कर लें। **अभ्यर्थियों को अभिलेखों की संवीक्षा/परीक्षण के समय इस फार्म की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी।**

यदि अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जा चुका है और अभ्यर्थी अपने आवेदन का प्रिंटआउट नहीं निकाल पा रहे हैं तो अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के **Homepage** पर जाकर **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गए लिंक **"Update Your Transaction ID by Double Verification"** पर क्लिक कर शुल्क समायोजन की अंतिम तिथि से पूर्व अपने शुल्क का समायोजन कर आवेदन पत्र का प्रिंटआउट प्राप्त कर सकते हैं।

3- आवेदन पत्र में संशोधन

I. **अभ्यर्थी आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त ही अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं।** इसके लिए अभ्यर्थी को वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गये **Applicant's Dashboard** पर जाकर प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2022 के रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के उपरान्त अभ्यर्थी को संबन्धित विज्ञापन के सामने प्रदर्शित **Modify Application** बटन पर क्लिक कर वेरीफिकेशन कोड दर्ज करना होगा। तदुपरान्त अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर/ Email पर एक OTP (One Time Password) जायेगा। इस OTP को सबमिट करने पर अभ्यर्थी का भरा हुआ फार्म प्रदर्शित होगा।

II. अभ्यर्थी द्वारा अपने आवदेन पत्र के निम्नलिखित विवरणों को ही संशोधित किया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी को आवेदन में किसी अन्य विवरण को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी-

a. नाम में वर्तनी की गलती।

b. पिता/ पति के नाम में वर्तनी की गलती।

c. पत्राचार का पता।

d. अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे- E.W.S. एवं क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी (D.F.F, Ex. Service Man, P.H., उत्कृष्ट खिलाड़ी आदि)।

e. जाति की श्रेणी (सामान्य/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)।

f. लिंग (जेन्डर)।

g. आवेदन में अनिवार्य/अधिमानी अर्हता सम्बन्धी दर्ज किया गया विवरण।

विशेष नोट- *उत्तर प्रदेश शासन के दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-3/2021/324/2021/65-3-2021-78/99 टी0सी0, दिनांक 30-07-2021 एवं शासनादेश संख्या-02/2022/I/246279/2022/File No.65-3099/58/2022-3, दिनांक 09-12-2022 द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं में दिव्यांगजन को समूह-क, ख, ग एवं घ में 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु पदों का पुनर्चिन्हांकन किया गया है। उक्त के क्रम में दिव्यांग अभ्यर्थियों को अपनी दिव्यांगता की श्रेणी के अनुसार आवदेन पत्र में दिव्यांगता की श्रेणी/ उपश्रेणी को चिन्हांकित करते हुए अपडेट किया जाना अनिवार्य है।*

III. आवेदन पत्र में अनुमन्य संशोधन इस विज्ञापन में उल्लिखित संशोधन की अंतिम तिथि **10-10-2023** तक ही किया जा सकता है। उक्त तिथि के उपरान्त आवेदन पत्र में संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। इस सम्बन्ध में त्रुटि सुधार/ संशोधन हेतु पृथक से कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4- पदों का विवरण-

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1/2020/1602/47-का-3-2019-13/7/2006, दिनांक 28-01-2020 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित/ उपलब्ध कराये जाने वाले अधियाचनों में रिक्तियों की गणना एवं आरक्षण की पूर्ति की जिम्मेदारी पूर्णतः सम्बन्धित विभाग की है।

अतः इस विज्ञापन में कुल विज्ञापित पदों व उनके सापेक्ष लम्बवत व क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत पदों की संख्या व विभिन्न श्रेणियों/ उपश्रेणियों का उल्लेख सम्बन्धित विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अधियाचन में दिए गए विवरण के अनुसार ही किया गया है।

सूच्य है कि उत्तर प्रदेश शासन के क्षैतिज व लम्बवत आरक्षण सम्बन्धी नवीनतम अधिनियमों/अध्यादेशों / नियमों/ शासनादेशों में निर्धारित /नीति निर्देशों के अनुरूप अनारक्षित/आरक्षित रिक्तियों की संख्या में संशोधन /परिवर्तन हो सकता है तथा विज्ञापित रिक्तियों की कुल व श्रेणीवार संख्या घट/बढ़ सकती है।

कुल विज्ञापित पदों की संख्या व उनके सापेक्ष लम्बवत आरक्षण का विवरण

सारिणी-1

क्र. सं	विभाग का नाम	पदनाम	वेतन बैन्ड/ ग्रेड-पे	अधियाचित कुल रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण						अभ्युक्ति
				अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए (E.W.S.)	कुल पद	स्थायी/ अस्थायी
01	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद, उ0प्र0)	कनिष्ठ सहायक (जनपद स्तर)	वेतन बैण्ड (5200-20200) ग्रेड- पे 2000/- मैट्रिक्स लेवल-3	615	206	06	240	83	1150	स्थायी/ अस्थायी
02	राजस्व विभाग	कनिष्ठ सहायक (मण्डलायुक्त कार्यालय अधिष्ठान)	वेतन बैण्ड (5200-20200) ग्रेड- पे 2000/- मैट्रिक्स लेवल-3	29	13	00	14	00	56	स्थायी/ अस्थायी
03	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 लखनऊ	कनिष्ठ सहायक (खण्डीय संवर्ग)	वेतन बैण्ड (5200-20200) ग्रेड- पे 2000/- मैट्रिक्स लेवल-3	590	173	43	125	103	1034	स्थायी
04	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ	कनिष्ठ सहायक (प्रमुख अभियंता संवर्ग)	वेतन बैण्ड (5200-20200) ग्रेड- पे 2000/- मैट्रिक्स लेवल-3	09	05	00	06	02	22	स्थायी
05	निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ	कनिष्ठ सहायक	वेतन बैण्ड (5200-20200) ग्रेड- पे 2000/- मैट्रिक्स लेवल-3	298	147	17	204	73	739	अस्थायी
06	शिक्षा निदेशक (मा0) उ0प्र0, शिक्षा प्रबन्ध अनुभाग, शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, प्रयागराज	कनिष्ठ सहायक	वेतन बैण्ड (5200-20200) ग्रेड- पे 2000/- मैट्रिक्स लेवल-3	43	24	02	32	11	112	स्थायी
07	एन0सी0सी0 निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ	कनिष्ठ सहायक	वेतन बैण्ड (5200-20200) ग्रेड- पे 2000/- मैट्रिक्स लेवल-3	40	34	03	13	10	100	स्थायी

क्र. सं	विभाग का नाम	पदनाम	वेतन बैन्ड/ ग्रेड-पे	अधियाचित कुल रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण						अभ्युक्ति
				अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए (E.W.S.)	कुल पद	स्थायी/ अस्थायी
08	ग्रामीण अभियन्त्रण, विभाग	कनिष्ठ सहायक (क्षेत्रीय स्तर हेतु)	वेतन बैण्ड (5200-20200) ग्रेड- पे 2000/- मैट्रिक्स लेवल-3	38	27	00	18	09	92	स्थायी
09	ग्रामीण अभियन्त्रण, विभाग	कनिष्ठ सहायक (मुख्यालय संवर्ग)	वेतन बैण्ड (5200-20200) ग्रेड- पे 2000/- मैट्रिक्स लेवल-3	03	02	00	00	00	05	स्थायी
10	डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास, विश्वविद्यालय लखनऊ	कनिष्ठ सहायक	वेतन बैण्ड (5200-20200) ग्रेड- पे 2000/- मैट्रिक्स लेवल-3	33	17	01	23	08	82	अस्थायी
11	माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, प्रयागराज	कनिष्ठ सहायक	वेतन बैण्ड (5200-20200) ग्रेड- पे 2000/- मैट्रिक्स लेवल-3	32	28	03	06	07	76	स्थायी
12	निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0	कनिष्ठ सहायक (जनपद स्तर)	वेतन बैण्ड (5200-20200) ग्रेड- पे 2000/- मैट्रिक्स लेवल-3	34	00	01	10	05	50	अस्थायी
13	खेल विभाग, उ0प्र0, लखनऊ	कनिष्ठ सहायक	वेतन बैण्ड (5200-20200) ग्रेड- पे 2000/- मैट्रिक्स लेवल-3	20	04	01	02	03	30	स्थायी
14	उ0प्र0, सूचना आयोग	कनिष्ठ सहायक	वेतनमान (21700-69100), मैट्रिक्स लेवल-3	11	06	00	08	02	27	स्थायी
15	उच्च शिक्षा, जननायक चन्द्र शेखर विश्वविद्यालय बलिया	कनिष्ठ सहायक	वेतन बैण्ड (5200-20200) ग्रेड- पे 1900/- संशोधित वेतनमान	10	05	00	07	02	24	अस्थायी
16	यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड	सहायक स्तर-III	वेतन बैण्ड (5200-20200) ग्रेड- पे 1900/- मैट्रिक्स लेवल-2	09	04	00	05	01	19	स्थायी
17	कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ	कनिष्ठ सहायक	वेतन बैण्ड (5200-20200) ग्रेड- पे 2000/- मैट्रिक्स लेवल-3	09	09	00	00	01	19	स्थायी

क्र. सं	विभाग का नाम	पदनाम	वेतन बैन्ड/ ग्रेड-पे	अधियाचित कुल रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण						अभ्युक्ति
				अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए (E.W.S.)	कुल पद	स्थायी/ अस्थायी
18	पंचायतीराज विभाग	कनिष्ठ सहायक	वेतन बैण्ड (5200-20200) ग्रेड- पे 2000/- मैट्रिक्स लेवल-3	09	04	00	04	01	18	स्थायी
19	भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0	कनिष्ठ सहायक	वेतन बैण्ड (5200-20200) ग्रेड- पे 2000/- मैट्रिक्स लेवल-3	06	04	01	02	01	14	स्थायी
20	संस्कृति विभाग, उ0प्र0, लखनऊ	कनिष्ठ सहायक	वेतन बैण्ड (5200-20200) ग्रेड- पे 2000/- मैट्रिक्स लेवल-3	06	03	00	04	01	14	स्थायी
21	राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ	कनिष्ठ सहायक	वेतन बैण्ड (5200-20200) ग्रेड- पे 2000/- मैट्रिक्स लेवल-3	02	00	00	01	00	03	अस्थायी
22	परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0	कनिष्ठ सहायक	वेतन बैण्ड (5200-20200) ग्रेड- पे 2000/- मैट्रिक्स लेवल-3	05	03	00	03	01	12	स्थायी/ अस्थायी
23	परिवार कल्याण, विभाग, (मातृ एवं शिशु कल्याण)	कनिष्ठ सहायक	वेतन बैण्ड (5200-20200) ग्रेड- पे 2000/- मैट्रिक्स लेवल-3	03	02	00	01	00	06	स्थायी
24	सर्वे कमिश्नर वक्फ, उ0प्र0	कनिष्ठ सहायक (जिला संवर्ग)	वेतन बैण्ड (5200-20200) ग्रेड- पे 2000/- मैट्रिक्स लेवल-3	07	01	00	00	00	08	स्थायी/ अस्थायी
25	सर्वे कमिश्नर वक्फ, उ0प्र0	कनिष्ठ सहायक	वेतन बैण्ड (5200-20200) ग्रेड- पे 2000/- मैट्रिक्स लेवल-3	01	01	00	00	00	02	स्थायी
26	राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय उ0प्र0 (प्रशासनिक सुधार विभाग) प्रयागराज	कनिष्ठ सहायक	वेतन बैण्ड (5200-20200) ग्रेड- पे 2000/- मैट्रिक्स लेवल-3	03	01	00	02	00	06	स्थायी
27	राज्य लोक सेवा अधिकरण, इन्दिरा भवन, लखनऊ	कनिष्ठ सहायक	वेतन बैण्ड (5200-20200) ग्रेड- पे 2000/- मैट्रिक्स लेवल-3	04	03	00	00	00	07	स्थायी

क्र. सं	विभाग का नाम	पदनाम	वेतन बैन्ड/ ग्रेड-पे	अधियाचित कुल रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण						अभ्युक्ति
				अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए (E.W.S.)	कुल पद	स्थायी/ अस्थायी
28	उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्याल, प्रयागराज	कनिष्ठ सहायक	वेतन बैण्ड (5200-20200) ग्रेड- पे 2000/- मैट्रिक्स लेवल-3	06	01	00	04	01	12	अस्थायी
29	निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ	कनिष्ठ सहायक	वेतन बैण्ड (5200-20200) ग्रेड- पे 2000/- मैट्रिक्स लेवल-3	03	02	00	01	00	06	स्थायी
30	अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय , लखनऊ, उ0प्र0	कनिष्ठ सहायक	वेतन बैण्ड (5200-20200) ग्रेड- पे 2000/- मैट्रिक्स लेवल-3	02	01	00	01	00	04	अस्थायी
31	राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,	कनिष्ठ सहायक (राज्य आयोग हेतु)	वेतन बैण्ड (5200-20200) ग्रेड- पे 2000/- मैट्रिक्स लेवल-3	06	03	00	04	01	14	स्थायी
32	मद्यनिषेध विभाग, उ0प्र0	कनिष्ठ सहायक	वेतन बैण्ड (5200-20200) ग्रेड- पे 2000/- मैट्रिक्स लेवल-3	01	01	00	00	00	02	स्थायी
33	उ0प्र0, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, लखनऊ	कनिष्ठ लिपिक	पी0बी0-1 (5200-20200) ग्रेड- पे 1900/- मैट्रिक्स लेवल-2	01	01	00	00	00	02	अस्थायी
34	निदेशालय, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, उ0प्र0	कनिष्ठ सहायक	वेतन बैण्ड (5200-20200) ग्रेड- पे 2000/- मैट्रिक्स लेवल-3	01	00	00	00	00	01	स्थायी
35	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 लखनऊ	कनिष्ठ सहायक (प्रमुख अभियंता संवर्ग) (विशेष चयन)	वेतन बैण्ड (5200-20200) ग्रेड- पे 2000/- मैट्रिक्स लेवल-3	00	07	02	02	00	11	स्थायी

क्र. सं	विभाग का नाम	पदनाम	वेतन बैन्ड/ ग्रेड-पे	अधियाचित कुल रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण						अभ्युक्ति
				अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए (E.W.S.)	कुल पद	स्थायी/ अस्थायी
36	शिक्षा निदेशक (मा0) उ0प्र0, शिक्षा प्रबन्ध अनुभाग, शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, प्रयागराज	कनिष्ठ सहायक (विशेष चयन)	वेतन बैण्ड (5200-20200) ग्रेड- पे 2000/- मैट्रिक्स लेवल-3	00	00	01	08	00	09	स्थायी
37	माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, प्रयागराज	कनिष्ठ सहायक (विशेष चयन)	वेतन बैण्ड (5200-20200) ग्रेड- पे 2000/- मैट्रिक्स लेवल-3	00	19	02	08	00	29	स्थायी
38	डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास, विश्वविद्यालय लखनऊ	कनिष्ठ सहायक (विशेष चयन)	वेतन बैण्ड (5200-20200) ग्रेड- पे 2000/- मैट्रिक्स लेवल-3	00	02	00	02	00	04	अस्थायी
39	भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0	कनिष्ठ सहायक (विशेष चयन)	वेतन बैण्ड (5200-20200) ग्रेड- पे 2000/- मैट्रिक्स लेवल-3	00	04	00	02	00	06	स्थायी
40	संस्कृति विभाग, उ0प्र0, लखनऊ	कनिष्ठ सहायक (विशेष चयन)	वेतन बैण्ड (5200-20200) ग्रेड- पे 2000/- मैट्रिक्स लेवल-3	00	02	00	00	00	02	स्थायी
41	राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय उ0प्र0 (प्रशासनिक सुधार विभाग) प्रयागराज	कनिष्ठ सहायक (विशेष चयन)	वेतन बैण्ड (5200-20200) ग्रेड- पे 2000/- मैट्रिक्स लेवल-3	00	01	00	01	00	02	स्थायी
कुल पद				**1889**	**770**	**83**	**763**	**326**	**3831**	

कुल विज्ञापित पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण का विवरण

सारिणी-2

क्षैतिज आरक्षण का विवरण												
क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	स्व0 संग्राम सेनानी के आश्रित	दिव्यांगजन / पद संख्या व विभाग द्वारा चिन्हांकित उप श्रेणियां					सैन्य वियोजित /भूतपूर्व सैनिक	महिला	उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु
				(क) दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता	(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास	(ग) प्रमस्तिष्कीय अंगघात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तताः	(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तताः, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थताः	(ड़) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहु निःशक्तताः, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक निःशक्तताः के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर-अंधता सम्मिलित है (MD)			
01	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद, उ0प्र0)	कनिष्ठ सहायक (जनपद स्तर)	01	02 (B.-01 पद, L.V.-01 पद)	02 (H.H.)	02 (O.L., Dw., L.C., A.A.V.)	00	01 (M.D.)	23	203	01
02	राजस्व विभाग	कनिष्ठ सहायक (मण्डलायुक्त कार्यालय अधिष्ठान)	00	00	00	00	00	00	00	04	00
03	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 लखनऊ	कनिष्ठ सहायक (खण्डीय संवर्ग)	20	11 (B., L.V.)	10 (H.H.)	10 (O.A., O.L., B.L., A.A.V.)	00	10 (M.D.)	51	206	20
04	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ	कनिष्ठ सहायक (प्रमुख अभियंता संवर्ग)	00	00	00	00	00	00	01	04	00
05	निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ	कनिष्ठ सहायक	14	10 (B., L.V.)	10 (D., H.H.)	09 (Dw.)	00	00	36	147	14
06	शिक्षा निदेशक (मा0) उ0प्र0, शिक्षा प्रबन्ध अनुभाग, शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, प्रयागराज	कनिष्ठ सहायक	02	02 (B., L.V.)	01 (D., H.H.)	01 (O.A., O.L., B.L.)	00	00	05	22	02
07	एन0सी0सी0 निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ	कनिष्ठ सहायक	02	02 (B., L.V.)	01 (D., H.H.)	01 (O.A., O.L., B.L.)	00	00	05	20	02

क्षैतिज आरक्षण का विवरण												
क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	स्व0 संग्राम सेनानी के आश्रित	दिव्यांगजन / पद संख्या व विभाग द्वारा चिन्हांकित उप श्रेणियां					सैन्य वियोजित /भूतपूर्व सैनिक	महिला	उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु
				(क) दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता	(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास	(ग) प्रमस्तिष्कीय अंगघात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तताः	(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तताः, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थताः	(ड़) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहु निःशक्तताः, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक निःशक्तताः के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर-अंधता सम्मिलित है (MD)			
08	ग्रामीण अभियन्त्रण, विभाग	कनिष्ठ सहायक (क्षेत्रीय स्तर हेतु)	01	01 (B., L.V.)	01 (D., H.H.)	01 (O.A., O.L., Dw., B.L., A.A.V.)	00	00	04	18	01
09	ग्रामीण अभियन्त्रण, विभाग	कनिष्ठ सहायक (मुख्यालय संवर्ग)	00	00	00	00	00	00	00	01	00
10	डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास, विश्वविद्यालय लखनऊ	कनिष्ठ सहायक	01	01 (B., L.V.)	01 (D., H.H.)	01 (O.A., O.L., Dw., B.L., A.A.V., C.P., L.C.)	00	00	04	16	01
11	माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, प्रयागराज	कनिष्ठ सहायक	01	01 (B., L.V.)	01 (D., H.H.)	01 (O.A., O.L., B.L.)	00	00	03	15	01
12	निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0	कनिष्ठ सहायक (जनपद स्तर)	01	01 (B., L.V.)	01 (D., H.H.)	00	00	00	02	10	01
13	खेल विभाग, उ0प्र0, लखनऊ	कनिष्ठ सहायक	00	01 (B., L.V.)	00	00	00	00	01	06	00
14	उ0प्र0, सूचना आयोग	कनिष्ठ सहायक	00	00	00	00	00	00	01	05	00
15	उच्च शिक्षा, जननायक चन्द्र शेखर विश्वविद्यालय बलिया	कनिष्ठ सहायक	00	00	00	00	00	00	01	04	00
16	यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड	सहायक स्तर-III	00	00	00	00	00	00	00	03	00
17	कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ	कनिष्ठ सहायक	00	00	00	00	00	00	00	03	00
18	पंचायतीराज विभाग	कनिष्ठ सहायक	00	00	00	00	00	00	00	03	00

क्षैतिज आरक्षण का विवरण

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	स्व0 संग्राम सेनानी के आश्रित	दिव्यांगजन / पद संख्या व विभाग द्वारा चिन्हांकित उप श्रेणियां					सैन्य वियोजित /भूतपूर्व सैनिक	महिला	उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु
				(क) दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता	(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास	(ग) प्रमस्तिष्कीय अंगघात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तताः	(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तताः, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थताः	(ड़) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहु निःशक्तताः, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक निःशक्तताः के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर-अंधता सम्मिलित है (MD)			
19	भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0	कनिष्ठ सहायक	00	00	00	00	00	00	00	02	00
20	संस्कृति विभाग, उ0प्र0, लखनऊ	कनिष्ठ सहायक	00	00	00	00	00	00	00	02	00
21	राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ	कनिष्ठ सहायक	00	00	00	00	00	00	00	00	00
22	परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0	कनिष्ठ सहायक	00	00	00	00	00	00	00	02	00
23	परिवार कल्याण, विभाग, (मातृ एवं शिशु कल्याण)	कनिष्ठ सहायक	00	00	00	00	00	00	00	01	00
24	सर्वे कमिश्नर वक्फ, उ0प्र0	कनिष्ठ सहायक (जिला संवर्ग)	00	00	00	00	00	00	00	01	00
25	सर्वे कमिश्नर वक्फ, उ0प्र0	कनिष्ठ सहायक	00	00	00	00	00	00	00	00	00
26	राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय उ0प्र0 (प्रशासनिक सुधार विभाग) प्रयागराज	कनिष्ठ सहायक	00	00	00	00	00	00	00	01	00
27	राज्य लोक सेवा अधिकरण, इन्दिरा भवन, लखनऊ	कनिष्ठ सहायक	00	00	00	00	00	00	00	01	00
28	उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्याल, प्रयागराज	कनिष्ठ सहायक	00	00	00	00	00	00	00	02	00

क्षैतिज आरक्षण का विवरण

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	स्व0 संग्राम सेनानी के आश्रित	दिव्यांगजन / पद संख्या व विभाग द्वारा चिन्हांकित उप श्रेणियां					सैन्य वियोजित /भूतपूर्व सैनिक	महिला	उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु
				(क) दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता	(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास	(ग) प्रमस्तिष्कीय अंगघात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तताः	(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तताः, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थताः	(ङ) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहु निःशक्तताः, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक निःशक्तताः के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर-अंधता सम्मिलित है (MD)			
29	निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ	कनिष्ठ सहायक	00	00	00	00	00	00	00	01	00
30	अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उ0प्र0	कनिष्ठ सहायक	00	00	00	00	00	00	00	00	00
31	राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,	कनिष्ठ सहायक (राज्य आयोग हेतु)	00	00	00	00	00	00	00	02	00
32	मद्यनिषेध विभाग, उ0प्र0	कनिष्ठ सहायक	00	00	00	00	00	00	00	00	00
33	उ0प्र0, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, लखनऊ	कनिष्ठ लिपिक	00	00	00	00	00	00	00	00	00
34	निदेशालय, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग, उ0प्र0	कनिष्ठ सहायक	00	00	00	00	00	00	00	00	00
35	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 लखनऊ	कनिष्ठ सहायक (प्रमुख अभियंता संवर्ग) (विशेष चयन)	00	00	00	00	00	00	00	02	00
36	शिक्षा निदेशक (मा0) उ0प्र0, शिक्षा प्रबन्ध अनुभाग, शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, प्रयागराज	कनिष्ठ सहायक (विशेष चयन)	00	00	00	00	00	00	00	00	00

क्षैतिज आरक्षण का विवरण												
क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	स्व0 संग्राम सेनानी के आश्रित	दिव्यांगजन / पद संख्या व विभाग द्वारा चिन्हांकित उप श्रेणियां					सैन्य वियोजित /भूतपूर्व सैनिक	महिला	उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु
				(क) दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता	(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास	(ग) प्रमस्तिष्कीय अंगघात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तताः	(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तताः, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थताः	(ड़) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहु निःशक्तताः, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक निःशक्तताः के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर-अंधता सम्मिलित है (MD)			
37	माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, प्रयागराज	कनिष्ठ सहायक (विशेष चयन)	00	01 (B., L.V.)	00	00	00	00	01	05	00
38	डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास, विश्वविद्यालय लखनऊ	कनिष्ठ सहायक (विशेष चयन)	00	00	00	00	00	00	00	00	00
39	भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0	कनिष्ठ सहायक (विशेष चयन)	00	00	00	00	00	00	00	01	00
40	संस्कृति विभाग, उ0प्र0, लखनऊ	कनिष्ठ सहायक (विशेष चयन)	00	00	00	00	00	00	00	00	00
41	राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय उ0प्र0 (प्रशासनिक सुधार विभाग) प्रयागराज	कनिष्ठ सहायक (विशेष चयन)	00	00	00	00	00	00	00	00	00
कुल पद			**43**	**33**	**28**	**26**	**00**	**11**	**138**	**713**	**43**

दिव्यांगता की श्रेणी/ उपश्रेणी से सम्बन्धित विवरण

- B. (बी)- Blind (दृष्टिहीनता)
- L.V. (एल0वी0)-Low Vision (कम दृष्टि)
- D. (डी0)- Deaf (बधिर)
- H.H. (एच0एच0)- Hard of Hearing (श्रवण शक्ति में ह्रास)
- O.A. (ओ0ए0)- One Arm Affected (एक हाथ प्रभावित)
- O.L. (ओ0एल0)- One Leg Affected (एक पैर प्रभावित)
- B.L. (बी0एल0)- Both Legs Affected (दोनों पैर प्रभावित)
- C.P. (सी0पी0)- Cerebral Palsy (प्रमस्तिष्क घात)
- L.C. (एल0सी0)- Leprosy Cured (रोगमुक्त कुष्ठ)

- Dw. (डीडब्लू0)- Dwarfism (बौनापन)
- A.A.V. (ए0ए0वी0)- Acid Attack Victims (एसिड आक्रमण पीड़ित)
- M.Dy. (एम0डीवाई0)- Muscular Dystrophy (पेशीय दुष्पोषण)
- M.D. (एम0डी0)- Multiple Disabilities (बहुदिव्यांगता)

5- आरक्षण सम्बन्धी प्रावधान –

5.1- **उ० प्र० की अनुसूचित जातियों, उ० प्र० की अनुसूचित जनजातियों, उ० प्र०के अन्य पिछड़े वर्गो एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक विद्यमान शासनादेशों/ विभाग से प्राप्त अधियाचन के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा।**

5.2- **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section - EWS) के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी, जिसके परिवार की समस्त स्रोतों (वेतन , कृषि, व्यापार व व्यवसाय आदि) से आवेदन करने के वर्ष के पूर्व के वित्तीय वर्ष की आय रुपए 08 लाख से कम है और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने सम्बन्धी उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-1577-79-वि-1-20-1(क)4-20, दिनांक 31 अगस्त, 2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 में विहित शर्तों को पूरा करते हैं, को 10% आरक्षण (EWS) अनुमन्य होगा। इस श्रेणी के आवेदकों द्वारा उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-3/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-।।, दिनांक 14-03-2019 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।**

5.3- **स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों (Dependant of Freedom Fighter-DFF) तथा भूतपूर्व सैनिकों (Ex-Servicemen) को आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथा संशोधित) व अद्यतन सुसंगत नियमावली/शासनादेशों के प्राविधानानुसार अनुमन्य होगा।**

5.4- उत्तर प्रदेश शासन दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-3/2021/324/2021/65-3-2021/78/99 टी०सी0, दिनांक 30 जुलाई, 2021 एवं शासनादेश संख्या-02/2022/I/246279/2022 /File No.65-3099/58/2022-3, दिनांक 09-12-2022 के प्रावधानों के अनुसार दिव्यांगता की चिन्हांकित श्रेणियों/उपश्रेणियों हेतु निर्धारित आरक्षण अनुमन्य होगा।

5.5- महिला आरक्षण के अंतर्गत महिलाओं को उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-18/1/99/का-2/99, दिनांक 26-02-1999, यथासंशोधित कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-39 रिट/का-2 /2019, दिनांक 26 जून, 2019 में विहित व्यवस्थाओं के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। महिलाओं को प्रदत्त उक्त आरक्षण मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16-01-2019 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दायर विशेष अपील (डी) संख्या-475/2019 में मा० न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा। उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को उन श्रेणियों में रखा जायेगा जिनसे वे सम्बंधित है। **उ० प्र० की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।**

5.6- उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 सं0-02/2022/3/47/का-2/2022 की अधिसूचना संख्या-3/47/का-2/2022, दिनांक 07-01-2022 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की समूह-ग के पदों पर सीधी भर्ती) नियमावली-2022 के प्राविधानानुसार **उत्कृष्ट खिलाड़ियों (Outstanding Sportsperson)** हेतु 02 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य होगा।

6 - अर्हतायें-

अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)- उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवानियमावली, 2014 दिनांक 22-सितम्बर, 2014 के भाग-चार नियम-10 के अनुसार सेवा में कनिष्ठ सहायक/ कनिष्ठ लिपिक/ सहायक स्तर-III के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक हैं-

(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर ली हो।

(दो) हिन्दी और अंग्रेजी टंकण में क्रमशः 25 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक है।

(तीन) डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया कम्प्यूटर प्रचालन में सी0सी0सी0 प्रमाण पत्र या किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था द्वारा उसके समकक्ष प्रदान किया गया कोई प्रमाण पत्र।

अधिमानी अर्हता-

उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवानियमावली, 2014 दिनांक 22-सितम्बर, 2014 के भाग-चार नियम-11 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा, जिसने-

1- प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

2- राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

7- आयु -

उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवानियमावली, 2014 दिनांक 22-सितम्बर, 2014 के भाग-चार नियम-12 के अनुसार सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ प्रकाशित की जायें, **पहली जुलाई को क्रमशः 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो।**

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

8- चयन का आधार -

8.1- प्रश्नगत पदों पर चयन उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-32/2015/857/47-का-2015-13/19/2015, दिनांक 11-05-2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश समूह-ग के पदों के लिए सीधी भर्ती (रीति एवं प्रकिया) नियमावली 2015, उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-4/2017/1/1/2017-का-2, दिनांक- 31 अगस्त, 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती (साक्षात्कार का बन्द किया जाना) नियमावली, 2017 एवं उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1103/47-का-3-2020-13/17/2020, दिनांक 20-11-2020 द्वारा अपनायी गयी नवीन आवेदन प्रक्रिया एवं द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के अनुसार (जिसके अंतर्गत मुख्य परीक्षा के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है जो आयोग की प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2022 में

सम्मिलित हुआ हो) तथा उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवानियमावली-2014, दिनांक 22 सितम्बर, 2014 के अनुसार किया जाएगा। तदनुसार आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के चयन हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसकी परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम प्रस्तर-9 में दिया गया है।

8.2- उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवानियमावली-2014, दिनांक 22 सितम्बर, 2014 के नियम-10 के प्राविधानों के अनुसार अभ्यर्थियों की हिन्दी और अंग्रेजी टंकण में क्रमशः 25 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना भी आवश्यक है, जिसके परीक्षण हेतु परीक्षा के द्वितीय चरण में लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर शार्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों की टंकण दक्षता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जो कि अर्हकारी प्रकृति की होगी।

9- लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम-

कनिष्ठ सहायक/ कनिष्ठ लिपिक/ सहायक स्तर-III के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम

लिखित परीक्षा एक पाली की होगी, जिनमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 तथा समयावधि दो घण्टा होगी। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। लिखित परीक्षा हेतु ऋणात्मक अंक (नेगेटिव मार्किंग) दिए जायेंगे, जो प्रत्येक गलत उत्तर पर उस प्रश्न के पूर्णांक का ¼ अर्थात 25 प्रतिशत अंक होंगे।

परीक्षा योजना

परीक्षा के विषय, प्रश्नों की संख्या, निर्धारित कुल अंक और दिया गया समय नीचे दिये गये विवरण के अनुसार होगा-

क्रमांक	विषय	प्रश्नों की संख्या	निर्धारित कुल अंक	समयावधि
भाग-1	हिन्दी परिज्ञान और लेखन योग्यता	30	30	120 मिनट (दो घण्टा) की अवधि का संयुक्त प्रश्न पत्र
भाग-2	सामान्य बुद्धि परीक्षण	15	15	
भाग-3	सामान्य जानकारी	20	20	
भाग-4	कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान	15	15	
भाग-5	उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी	20	20	
योग		**100**	**100**	

नोट- उपर्युक्त परीक्षा हेतु निगेटिव मार्किंग (ऋणात्मक अंक) दिये जाने का प्राविधान है, जो सही प्रश्न के अंक का 25 प्रतिशत अर्थात ¼ होगी।

पाठ्यक्रम

भाग-1 हिन्दी परिज्ञान और लेखन योग्यता

उम्मीदवारों से हिन्दी भाषा का ज्ञान तथा उनके समझ एवं लेखन की योग्यता के परीक्षण हेतु प्रश्न पूछे जायेंगे। (यह प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 के इण्टरमीडिएट परीक्षा के स्तर का होगा)

भाग-2 सामान्य बुद्धि परीक्षण

इस परीक्षण का उद्देश्य किसी नई परिस्थिति के समझने उसके विभिन्न तत्वों का विश्लेषण तथा पहचान करने तथा तर्क करने की योग्यता को मापना है। इस परीक्षण में ऐसे प्रश्न होंगे जो अनुदेशों को समझने, संबंधों, समानताओं तथा संगतताओं का पता लगाने, निष्कर्ष निकालने और इसी प्रकार की बौद्धिक क्रियाओं पर आधारित होंगे।

भाग-3 सामान्य जानकारी

प्रश्न पत्र का यह भाग उम्मीदवारों की चारों ओर के वातावरण के बारे में उसकी सामान्य जानकारी तथा समाज में उसके इस्तेमाल के बारे में उसकी योग्यता के आंकने के लिए है। इस परीक्षण में ऐसे प्रश्न भी रखे जायेंगे जिनसे ऐसी समसामयिक घटनाओं तथा प्रतिदिन दृष्टिगोचर होने तथा अनुभव में आने वाले तथ्यों जिनमें ऐतिहासिक एवं भौगोलिक तथ्य भी सम्मिलित हो सकते हैं (विशेष कर भारत से संबंधित) एवं उनके वैज्ञानिक पहलुओं का ज्ञान आंका जा सके, जिसकी किसी भी शिक्षित व्यक्ति से आशा की जा सकती है।

भाग-4 कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान

प्रश्न पत्र के इस भाग में उम्मीदवारों से कम्प्यूटर एवं सूचना तकनीकी का परिचय, हार्डवेयर, साफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट, ई-मेल, सोशल नेटवर्किंग, ई-गवर्नेंस की जानकारी, डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग, इण्टरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब (WWW) का परिचय, भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा का अवलोकन, वर्ड प्रोसेसिंग के तत्व तथा कम्प्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास एवं नवाचार (आर्टीफिशियल इंटेलिजेन्स, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इण्टरनेट ऑफ थिंग्स) पर आधारित एवं इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे।

भाग-5 उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी

प्रश्न पत्र के इस भाग में उम्मीदवारों से उत्तर प्रदेश का विशिष्ट ज्ञान-इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषायें, विरासत, सामाजिक रीति-रिवाज और पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्यजीव, खान और खनिज, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय और रोजगार, राजव्यवस्था एवं प्रशासन तथा समसामयिक घटनाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य की उपलब्धियों पर आधारित प्रश्न पूछे जायेंगे।

10-लिखित परीक्षा के सम्बन्ध में विशेष नोट -

कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर-III की लिखित परीक्षा हेतु विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों, अंतिम कटऑफ अंक/परसेंटाइल स्कोर (दशमलव के 02 स्थान तक) धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए, को मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किया जाएगा।

यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों/ दिवस में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के तुलनात्मक मूल्यांकन हेतु स्कोर के Normalization की प्रक्रिया लागू होगी।

11-अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश-

11.01- उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें।

11.02- एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, अनुमन्य होगी।

11.03- अभ्यर्थी, जो उ०प्र० राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के माने जाएंगे।

11.04- भूतपूर्व सैनिकों (Ex-Servicemen) (जो आवेदन की अंतिम तिथि अर्थात दिनांक 03-10-2023 तक सेवा निवृत्त हो चुके हों) को आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथा संशोधित) व अद्यतन सुसंगत नियमावली/शासनादेशों के प्राविधानानुसार अनुमन्य होगा।

11.05- उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की समूह-ग के पदों पर सीधी भर्ती) नियमावली-2022 के अंतर्गत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11.06- उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, जैसी भी स्थिति हो, की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री, स्वयं उसे अथवा उसके परिवार को सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करने की दशा में ही आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। ऐसी महिला अभ्यर्थी, जिसके जाति प्रमाण पत्र में उसके उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, जैसी भी स्थिति हो, की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, को इस आरक्षण का लाभ उसके पिता पक्ष की ओर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही अनुमन्य होगा।

11.07- ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने का दावा करते हैं, उन्हे यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके पास उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम,1993 यथा संशोधित के अनुक्रम में जारी शासनादेश दिनांक 21 अप्रैल, 2015 के अनुरूप प्रमाण पत्र उपलब्ध हो।

11.08- ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक रूप से दिव्यांग होने का दावा करते हैं, उन्हे यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके पास उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक विभाग-2 के शासनादेश सं0-5/2022/18/1/2008/47/का-2/2022, दिनांक 18-04-2022 द्वारा निर्धारित अद्यतन प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध हो तथा यह कि उक्त प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी की दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो।

11.09- जो अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में सेवारत हैं वे अपने सेवायोजक से अनापत्ति प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लें जिसे आयोग द्वारा मांगे जाने पर यथानिर्दिष्ट विधि से प्रस्तुत करना होगा।

11.10- राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उ०प्र०शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-2-ई.एम. /2001-का-4-2013,दिनांक 27 अगस्त, 2013 के अनुसार अधिकतम आयु-सीमा में पाँच वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

11.11- अभ्यर्थी के अर्ह / अनर्ह होने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

11.12- उत्तर प्रदेश के स्वंतत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, तथा भूतपूर्व सैनिक कोटे के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को उ०प्र० स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दिव्यांग तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम 1993 यथा संशोधित में विद्यमान नियमानुसार उन श्रेणियों में रखा जाएगा, जिनसे वे सम्बन्धित हैं।

11.13- महिला आरक्षण के अंतर्गत महिलाओं को शासनादेश संख्या-18/1/99/का-2/99, दिनांक 26-02-1999, यथासंशोधित कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-39 रिट/का-2 /2019, दिनांक 26 जून, 2019 में विहित व्यवस्थायों के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। महिलाओं को प्रदत्त उक्त आरक्षण मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16-01-2019 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दायर विशेष अपील (डी) संख्या-475/2019 में मा० न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा। उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को लम्बवत श्रेणी में उन्ही श्रेणियों में रखा जायेगा जिनसे वे सम्बंधित है, इस हेतु पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

11.14- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S) के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी, जिसके परिवार की समस्त स्रोतों (वेतन , कृषि, व्यापार व व्यवसाय आदि) से आय आवेदन करने के वर्ष के पूर्व के वित्तीय वर्ष की आय रुपए 08 लाख से कम है और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (E.W.S) को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने सम्बन्धी उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-1577-79-वि-1-20-1(क)4-20, दिनांक 31 अगस्त, 2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 में विहित शर्तों को पूरा करते हैं, को 10% आरक्षण (E.W.S) अनुमन्य होगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा EWS श्रेणी के अंतर्गत आवेदन कियाजा रहा है, उनसे अपेक्षित है कि वह आवेदन करने से पूर्व दिनांक 01-04-2023 से 03-10-2023 (आवेदन की अंतिम तिथि) के मध्य निर्गत EWS प्रमाण पत्र, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 की आय पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु मान्य हो, को धारित करना सुनिश्चित करें। इस श्रेणी के आवेदकों को उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-3/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-II, दिनांक 14-03-2019 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

11.15- हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

11.16- आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की स्वप्रमाणित प्रति को मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाना होगा।

11.17- परीक्षा की तिथि, समय तथा परीक्षा केन्द्र आदि के संबंध में सूचना प्रवेश पत्र के माध्यम से अनुक्रमांक सहित दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केंद्र में किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। अभ्यर्थी इस सम्बन्ध में अनावश्यक पत्राचार न करें।

11.18- आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर अथवा गलत/मिथ्या सूचना देने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

11.19- किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।

11.20- आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबंधिक प्रवेश देगा, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना दी गयी थी और उसके द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्हता धारित नहीं की जाती थी अथवा तत्सम्बन्धित प्रमाण पत्र धारित नहीं किया जाता था अथवा उसका आवेदन प्रारम्भिक स्तर पर स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, तो उक्त स्थिति में उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

11.21- कदाशय अर्थात परीक्षा भवन में नकल करने/कराने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यहार तथा अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।

11.22- आयोग किसी भी अभ्यर्थी से व्यक्तिगत पत्राचार नही करता है। सभी सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है अतः सभी परीक्षार्थियों/ अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे विज्ञापन से संबन्धित सभी सूचनाओं हेतु नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट को देखते रहें।

11.23- आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के संबंध में कोई परामर्श नहीं दिया जाता है, इसलिए अभ्यर्थी को विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और वह तभी आवेदन करे जब वह संतुष्ट हो जाये कि वह विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अर्ह है।

11.24- किसी अनाचार/कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/ अपराधिक वाद लंबित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/ चयन के संबंध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाए जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित **(DEBAR)** करने का अधिकार आयोग का होगा।

11.25- यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई हो रही है तो दूरभाष नंबर 0522-2720814 द्वारा अथवा आयोग की वेबसाइट **http://upsssc.gov.in** के माध्यम से अपनी कठिनाई/ समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।

11.26- ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जो विवाहित हैं तथा जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले से ही एक जीवित पत्नी है, पात्र नहीं समझे जाएंगे, बशर्ते कि राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त प्रतिबंध से मुक्ति प्रदान न कर दी गई हो।

11.27- अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन करने की दशा में अन्तिम सबमिट किया गया आवेदन ही स्वीकार होगा। शेष सभी आवेदन निरस्त माने जाएंगे।

11.28- अभ्यर्थी आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि तक ही अपने आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित कर सकते हैं। उक्त तिथि के उपरान्त आवेदन पत्र में किसी भी स्तर पर संशोधन संभव नहीं है एवं इस संबन्ध में आयोग से किया जाने वाला पत्राचार मान्य नहीं होगा।

सचिव,
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
लखनऊ।

परिशिष्ट

उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला................... जारी

दिनांक...............

तहसील................

आवेदन क्रमांक..........

प्रमाण पत्र क्रमांक...........

प्रमाणित किया जाता है कि.............. पुत्र/पुत्री................ माता का नाम.............................. निवासी................ग्राम............तहसील.........जिला.................उत्तर प्रदेश राज्य की........................... जाति के व्यक्ति हैं, जिसे संविधान अनुसूचित जाति आदेश, १९५०.(जैसा कि समय समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश, १९६७ के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के प्रारूप मे मान्यता दी गयी है।

............................तथा/ अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के.......................... ग्राम-तहसील..................... में सामान्यता रहता हैं

क्यू आर कोड

जारी कर्ता केन्द्र................

पद.....................

स्थान.................

दिनांक................

सक्षम अधिकारी/ तहसीलदार

डिजिटल हस्ताक्षरित...........

....

दिनांक................................

परिशिष्ट

उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला.......................... जारी दिनांक...............

तहसील........................

आवेदन क्रमांक..............

प्रमाण पत्र क्रमांक...........

प्रमाणित किया जाता है कि.............. पुत्र/पुत्री................ माता का नाम.............................. निवासी................ग्राम............तहसील..........जिला.................उत्तर प्रदेश राज्य की........................... जाति के व्यक्ति हैं, जिसे संविधान अनुसूचित जाति आदेश, १९५० (जैसा कि समय समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश, १९६७ के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के प्रारूप मे मान्यता दी गयी है।

............................तथा/ अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के.......................... ग्राम-तहसील..................... में सामान्यता रहता हैं

क्यू आर कोड

जारी कर्ता केन्द्र................ सक्षम अधिकारी/ तहसीलदार

पद................................ डिजिटल हस्ताक्षरित...........

स्थान.............................. ....

दिनांक............................ दिनांक..............................

परिशिष्ट

<u>उत्तर प्रदेश के पिछडी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र</u>

जिला........................... जारी

दिनांक...............

तहसील........................

आवेदन क्रमांक..............

प्रमाण पत्र क्रमांक...........

प्रमाणित किया जाता है कि.............. पुत्र/पुत्री................ माता का नाम.............................. निवासी................ग्राम............तहसील..........जिला.................उत्तर प्रदेश राज्य की........................... जाति के व्यक्ति हैं, यह उत्तर प्रदेश लेक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अंतर्गत मान्यता प्राप्त हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि........................... पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, और अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एंव जो लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एंव शासनादेश संख्या २२/१६/९२ टी0 सी0-III, दिनांक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं हैं। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं हैं तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ मे यथा विहिप छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।

क्यू आर कोड

जारी कर्ता केन्द्र................

पद..................................

स्थान..............................

दिनांक............................

सक्षम अधिकारी/ तहसीलदार

डिजिटल हस्ताक्षरित...........

....

दिनांक..............................

(प्रपत्र- 1)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम...

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या-......................... दिनांक-................................

वित्तीय वर्ष .... के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी ....

पुत्र/ पति/ पुत्री .... ग्राम/ कस्बा..

पोस्ट ऑफिस .... थाना ....

तहसील .... जिला .... राज्य ....

पिन कोड........................... के स्थायी निवासी है, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष .... में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रूपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं हैः-

I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर ।
II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2. श्री/ श्रीमती/ कुमारी .... जाति .... के सदस्य हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गो के रूप में अधिसूचित नहीं है।

आवेदक का पासपोर्ट साईज का अभिप्रमाणित फाटोग्राफ

हस्ताक्षर .... (कार्यालय का मुहर सहित)

पूरा नाम ....

पदनाम ....

जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी/ सिटी मजिस्ट्रेट/ परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती---निवासी ग्राम--------
-----------------------------------तहसील-------------------------------------नगर-----------------------
जिला----------------------------------"उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993" के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित) --------------------------------------पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) ------------------------------ --के आश्रित हैं।

स्थान-

दिनॉक-

हस्ताक्षर---------------

पूरा नाम----------------

पदनाम-----------------

मुहर---------------------

जिलाधिकारी (सील)

दिव्यांगता प्रमाण पत्र सम्बन्धी प्रारूप

Form-II
Certificate of Disability

(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in case of blindness)

(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (Showing face only) of the person with disability.

Certificate No. Date:

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. ____________________ son/wife/daughter of Shri ______________ Date of Birth (DD/MM/YY) __________ Age _____ years, male/female ______________ registration No. ____________ permanent resident of House No. __________ Ward/Village/Street ______________ Post Office ______________ District __________ State ______________, whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of:

- locomotor disability
- dwarfism
- blindness

(Please tick as applicable)

(B) the diagnosis in his/her case is ________________

(A) he/she has _______ % (in figure) ________________ percent (in words) permanent locomotor disability/dwarfism/blindness in relation to his/her ______ (part of body) as per guidelines (…………..number and date of issue of the guidelines to be specified).

2. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority issuing certificate.

3. Signature and seal of the Medical Authority.

(Dr. ______________)	(Dr. ______________)	(Dr. ______________)
Member Medical Board with seal	Member Medical Board with seal	Chairperson Medical Board with seal

Countersigned by the
Chief Medical Officer
(with seal)

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Form - III
Certificate of Disability
(In cases of multiple disabilities)
(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (Showing face only) of the person with disability.

Certificate No. Date:

This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum. ______________ son/wife/daughter of Shri ______________ Date of Birth (DD/MM/YY) __________ Age _____ years, male/female ____________.
Registration No. ____________ permanent resident of House No. ________ Ward/Village/Street __________ Post Office __________ District __________ State __________, whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of Multiple Disability. His/her extent of permanent physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (..............number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the table below:

S. No	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			
6.	Acid attack Victim			
7.	Low vision	#		
8.	Blindness	#		
9.	Deaf	£		
10.	Hard of Hearing	£		
11.	Speech and Language disability			
12.	Intellectual Disability			
13.	Specific Learning Disability			
14.	Autism Spectrum Disorder			
15.	Mental illness			
16.	Chronic Neurological Conditions			

17.	Multiple sclerosis			
18.	Parkinson's disease			
19.	Haemophilia			
20.	Thalassemia			
21.	Sickle Cell disease			

(B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (……….number and date of issue of the guidelines to be specified), is as follows : -
In figures : - ----------------- percent
In words :- --- percent

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.
3. Reassessment of disability is :
   (i) not necessary,
   or
   (ii) is recommended/after .... years .... months, and therefore this certificate shall be valid till ----- ----- ------

(DD) (MM) (YY)

@ e.g. Left/right/both arms/legs
# e.g. Single eye
£ e.g. Left/Right/both ears

4.The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of document	Date of issue	Details of authority issuing certificate

5. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Countersigned by the
Chief Medical Officer
(with seal)

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Form –IV

Certificate of Disability

(In cases other than those mentioned in Forms II and III)

(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (Showing face only) of the person with disability.

Certificate No. Date:

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt/Kum____________________ son/wife/daughter of Shri ____________________ Date of Birth (DD/MM/YY)____ ____ ____ Age ______ years, male/female ________ Registration No. ____________ permanent resident of House No. _________ Ward/Village/Street ____________ Post Office ____________ District ____________ State ____________. whose photograph is affixed above, and am satisfied that he/she is a case of ____________________ disability. His/her extent of percentage physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (........number and date of issue of the guidelines to be specified) and is shown against the relevant disability in the table below:-

S. No	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Cerebral Palsy			
5.	Acid attack Victim			
6.	Low vision	#		
7.	Deaf	€		
8.	Hard of Hearing	€		
9.	Speech and Language disability			
10.	Intellectual Disability			
11.	Specific Learning Disability			
12.	Autism Spectrum Disorder			
13.	Mental illness			
14.	Chronic Neurological Conditions			
15.	Multiple sclerosis			
16.	Parkinson's disease			
17.	Haemophilia			
18.	Thalassemia			
19.	Sickle Cell disease			

(Please strike out the disabilities which are not applicable)

2. The above condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is:

(i) not necessary, or

(ii) is recommended/after ______ years __________ months, and therefore this certificate shall be valid till (DD/MM/YY) ____ ____ ____

@ - eg. Left/Right/both arms/legs

- eg. Single eye/both eyes

€ - eg. Left/Right/both ears

4. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Countersigned by the
Chief Medical Officer
(with seal)

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued